न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री हेमराज गुर्जर R.A.S.)

प्रकरण सं. 29 / 2021
किस्म — प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 25.01.2021

1. मांगीलाल पुत्र प्रभूदयाल उम्र 50 साल जाति ब्राह्मण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

प्रार्थी / सायल

बनाम

1. कमलादेवी पत्नि विनोद कुमार शर्मा पुत्री प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल जसबंत नगर भरतपुर
2. सोहनलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी करही तहसील नदबई
3. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
4. सब रजिस्टार महोदय लखनपुर

अप्रार्थी / गैरसायलान

उपस्थित श्री ओमप्रकाश बिहारिया एण्डवोकेट(प्रार्थीगण की औरसे)

श्री राधेश्याम शर्मा एण्ड़वोकेट(अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा चुका है। जिसमें कायमाबी की पूरी पूरी उम्मीद हैं।
2. यह कि हाल आराजी खाता सं. 3 के आराजी खसरा नम्बरान 2176 रकवा 0.20 2179 रकवा 0.29 किता 2 रकवा 0.49 हैक्ट. वाके ग्राम करही तहसील नदबई में स्थित है। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि विवादित आराजी वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी है। जिस पर काब्जि होकर काश्त करते चले आ रहे है।
4. यह कि विवादित आराजी व वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी पैत्रिक सम्पत्ति की आराजी हैं जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी के बाबत् दिनांक 3.06.2019 को एक रिलीज डीड तहरीर की गई जिस जिसमें अप्रार्थी सं. 1 के आधार कार्ड ने अलग नाम अंकित होने के कारण रिलीजडीड तस्दीक नही हो सकी जिससे उक्त रिलीज [illegible] अप्रार्थी सं. 1 के नाम को काट दिया गया लेकिन अब अप्रार्थी सं. 2 [illegible] फुसला कर विवादित आराजी को न्यारानूर हडपना चाहते है। जिससे [illegible] की सक्त हकतलफी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी विवादित आराजी में अप्रार्थी सं. 1 के [illegible] को कलमजन [illegible] का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

5. यह कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रार्थी को यह एलानियॉ धमकी दी है कि वह विवादित आराजी व वर्णित चरण सं. 2 प्रार्थना पत्र की आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर देगे व प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर देगे जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने को कोई अधिकार नही है। यदि अप्रार्थीगण अपनी उपरोक्त दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादी प्रार्थी को अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।

6. यह कि प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के हक में है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जा कर अप्रार्थीगण को ता. फैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी में मदाखलत मजाहमत न करे रहनवय मुन्तकिल न करें। तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र अतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत श्री ओमप्रकाश बिहारिया एण्ड़वोकेट द्वारा प्रस्तुत। प्रार्थीगण का प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 2 की आर से श्री राधेश्याम एडवोकेट उपस्थित हुऐ। अप्रार्थीगण सं. 3,4 विरूद्ध तामील बाबजूद अनुपस्थित इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 2 की और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी इनकी और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया तथा जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 2 की तरफ से निम्न प्रकार प्रस्तुत है।

1. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 1 में वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया है। उस में कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है।
2. यह हैं कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम करही में होना स्वीकार है अन्य तथा अस्वीकार है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है।
3. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में वर्णित तथ्य आंशिक स्वीकार है।
4. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में वर्णित तथ्य पैत्रिक होना स्वीकार है जबकि दिनांक 3.06.2019 को एवं रिलीजडीड में से नाम का काटना बताते है यह गलत है। क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 अपने खातेदारी के रकवा को अप्रार्थी सं. 2 को करना चाहती थी इसी कारण दिनांक 3.06.2019 को रिलीज में से नाम काट दिया गया था इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है।
5. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 अस्वीकार हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र की मद सं. 2 में वर्णित आराजी का रिकॉडेड खातेदार नहीं है। इसलिए धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी काविल खारिजी के है।
6. यह है कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में प्राइमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। कि उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण / गैरसायलान की खातेदारी की आराजी है जिसे वह रहन वय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण को वादी ने मात्र के.सी.सी. नहीं लेने के कारण तंग व परेशान किया गया है। क्योंकि प्रतिव[illegible] अप्रार्थीगण के.सी.सी. की फाइल बनाकर लॉन लेना चाहता था। [illegible] श्रीमानजी में वाद पेश किया गया है इसी कारण प्रतिवादीगण जारी शुदा अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज करा पाने के अधिकारी है। जब प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की न्या[illegible]र खातेदारी है और वादी का कोई किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है। तो वादी प्रतिवादीगण के नाम को किस आधार से कलमजन करा सकता है। और न ही पाबंद करा सकता है। वादी, प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:08 IST
Reason: SelfAttested

को के.सी.सी. का ऋण नहीं लेने देगा जबकि यह उसका अधिकार है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को अपने अधिकारों से वंचित करना चाहता है। इसलिए वाद वादी काबिल खारिजी के है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। शपथ पत्र संलग्न है।

सायल / प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीए के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2073 से 76 वाके करही, नकल फोटो प्रति रिलीजडिड़ दिनांक 03.06.2019, नकल फोटो प्रति प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई पेश की गई।

गैरसायल / अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थना में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप नकल रिलीज दिनांक 17.07.2019 पेश किये गये।

उभय पक्षकरान के विद्वान वकीलो की बहस प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. सुनी। बहस पर मनन किया गया। तथा प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहस पेश किया गया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तार्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश किया गया है जिसमें प्रार्थना पत्र की मदं स. 2 में वर्णित विविादित आराजी वाके ग्राम करही तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जो कि प्रभूदयाल की आराजी है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। विवादित आराजी बाबत् दिनांक 03.06.2019 को एक रिलीजडीड तहरीर की गई। जिसमें अप्रार्थी सं. 1 कमला देवी आधार कार्ड में अलग नाम अंकित होने के कारण उक्त रिलीजडीड तस्दीक नहीं हो सकी । जिससे उक्त रिलीजडीड में अप्रार्थी सं. 1 कमला देवी के नाम को काट दिया गया। लेकिन अब अप्रार्थी सं. 1 व 2 के साज कर अप्रार्थी सं. 2 द्वारा बहलाफुसलाकर विवादित आराजी को न्यायारूढ़ हड़पना चाहते है। इसलिए विवादित आराजी में अप्रार्थी कमला देवी के नाम को कलमजन कराने का अधिकारी है। तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा धमकी दी गई कि उक्त विवादित आराजीयात से प्रार्थीगण को आराजी से बेदखल कर देगें। उक्त आराजी पैत्रिक आराजी है। जिसपर सब का बाहिस्सा बराबर आराजी में हक निहित है। इसलिए जबतक सभी का हक तय नही हो जाते तब तक विवादित आराजीयात के मौका व रिपोर्ट की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है।अतः जारीशुदा स्थगन आदेश कान्फर्म किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण 1 व 2 की और से अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी बाके ग्राम कबई में स्थित है। जो कि पैत्रिक आराजी है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.06.2019 को रिलीजडीड में नाम का काटना बताते है। जो गलत है। क्योकि अप्रार्थी सं. 1 कमलादेवी अपने खातेदारी के रकवे को अप्रार्थी सं. 2 सोहनलाल को करना चाहती है। इसी कारण दिनांक 03.06. 2019 को रिलीजडीड में से नाम काट दिया गया। तथा प्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं दी गई। तथा उक्त विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी है। जिससे वह रहन वय करने का पूर्ण अधिकार है। अप्रार्थीगण को वादी ने [illegible] के कारण तंग व परेशान की निहित से पेश किया गया है। तथा न्यायालय के समक्ष झूठे तथ्य पेश कर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादी सं. 1 व 2 की न्यायानूर खातेदारी है। और प्रार्थी का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। तो वादी / प्रार्थी प्रतिवादी गण

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:08 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... जिला ...

के नाम को किस आधार से कलमजन करा जा सकता है। और नही पाबंद करा सकता है। प्रार्थी एक रिकॉडेट खातेदार को अपने खातेदारी अधिकारों से वंचित नही किया जा सकता इसलिए जारीशुदा स्थगन आदेश खारिज किया जाये।

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलो की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि:–

1.प्राईमाफेसी केस– प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबदी संबत 2073–76 वाके ग्राम करही पेश की गयी। जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी की खातेदारी का अंकन हो रहा है। विविदित आराजी वाके ग्राम करही तहसील नदबई पर स्थित है। जिसके 1/7 , 1/7 बाहिस्से बराबर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।उक्त विवादित आरीजायात प्रभूदयाल से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को विरासतन के रूप में प्रभूदयाल व अंगूरी से प्राप्त हुई। जो वारिसान के रूप में सोहनलाल मांगीलाल सतीश व सत्यप्रकाश पुत्रान प्रभूदयाल व नर्मदा गंगा पार्वती कमला के नाम विरासतन में प्राप्त हुई। जिसमें नर्मदा गंगा पार्वती ने एक रिलीजडीड दिनांक 18.07.2019 को मांगीलाल व सतीश उर्फ सत्यप्रकाश को करा दी गई। तथा मांगी व सतीश ने अपने पूर्ण हिस्सा सोहनलाल को दिनांक 17.07.2019 को रिलीजडीड से सोहनलाल पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राह्मण निवासी करही के पक्ष में करा दी गई। इस प्रकार उक्त खाते में कमला एवं सोहनलाल शेष रह गये । तथा कमला ने अपना हिस्सा जरिये रिलीजडीड दिनांक 26.05.2020 को सोहनलाल के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया । जिसका नामांतरण संख्या 1100 दिनांक 06.07.2020 को सोहनलाल के पक्ष में दर्ज हो गया इसप्रकार सोहनलाल पुत्र प्रभूदयाल दिनांक उक्त खातेदारी चली आ रहा है। जो आज भी नकल जमाबंदी हाल संवत् 2073–76 से प्रमाणित है। इस प्रकार सहखातेदार को किसी भी को अपना हक त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। तथा कमला ने अपना हिस्सा सोहनलाल के पक्ष में हक त्याग कर दिया गया हैं अब सायल प्रार्थी मांगीलाल का कोई भी हिस्सा हाल में वाद में नही बनता हैं तो उसे स्थगन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात से सायल का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है। प्रथमदृष्टया प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में न होकर अप्रार्थी के हक में बखूबी साबित है।

2.सुविधा का सतुलन –सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के हक में साबित है।

3. अपूर्ण क्षति – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थिगण को पाबन्द किया जाता है जो उसके खातेदारी अधिकारो पर कुठारघात होगा तो अजीम क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी अप्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। अतः आदेश है कि आराजी खाता सं. 3 के आराजी खसरा नम्बरान 2176 रकवा 0.20 2179 रकवा 0.29 किता 2 रकवा 0.49 हैक्ट. वाके ग्राम करही तहसील नदबई में रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने व [illegible] नही करने का जारी किया गया स्थगन आदेश दिनांक 24.07.2020 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2021.03.08 16:09:08 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर R.A.S.)
सहायक कलेक्टर,नदबई
[stamp] जिला भरतपुर